

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बौली
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट मोरण

पीठासीन अधिकारी - विजेन्द्र कुमार मीना

विविध प्रा.पत्र सं. 08/18

1. रामनारायण पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी बोरखेडा तहसील बौली जिला स0मा0
2. पांची पुत्री रामकुंवार जाति बैरवा निवासी बोरखेडा तहसील बौली जिला स0मा0

प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला स0मा0 राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0 राज0 अधिनियम

-आदेश:-

दिनांक 30/5/18

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र न्यायलय में पेश किया । जिसको राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मोरण में चिन्हित कर लोक अदालत की भावना से सुना गया मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा गहन विश्लेषण किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार बौली को आदेश दिये जाते है कि बिना किसी विलम्ब के नियमानुसार फीस जमा कर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में सीमांकन व पत्थरगढी करावे एवं आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाकर आदेश की पालना से अवगत करावे।

लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत केम्प मोरण में दिनांक 30/5/18 को सुनाया गया।

क्र सं.	नाम प्रार्थीगण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर जिसकी सीमाज्ञान / पत्थरगढी कराया जाना है।
	<ol style="list-style-type: none">1. रामनारायण पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी बोरखेडा तहसील बौली जिला स0मा02. पांची पुत्री रामकुंवार जाति बैरवा निवासी बोरखेडा तहसील बौली जिला स0मा0	बोरखेडा	वाके ग्राम बोरखेडा के खाता संख्या 193 के खसरा नम्बर 23 रकबा 1.30 है. खसरा नम्बर 46 रकबा 0.79 है. खसरा नम्बर 598 रकबा 0.80 है. खसरा नम्बर 599 रकबा 1.30 है. खसरा नम्बर 600 रकबा 0.03 है. खसरा नम्बर 601 रकबा 0.09 है. खसरा नम्बर 602 रकबा 0.06 है. कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.37 है.

दिनांक :- 14/6/18

क्रमांक :- लो.अ./ मोरण/ 1092-94
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार बाँली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे।

2. प्रार्थीगण रामनारायण पुत्र गंगाराम जाति बैरवा , पांची पुत्री रामकुंवार जातियान बैरवा निवासीयान बोरखेडा तहसील बाँली

जिला स0मा0

3. कार्यालय प्रति।



(विजन्द्र कुमार मीना)
पीठासीन अधिकारी
(विजन्द्र कुमार मीना)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी बाँली
बाँली जिला सवाई माधोपुर